न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

दायर दिनांक 18.01.2024

प्रकरण संख्या/10/2024 वाद

उनवान

1. महेन्द्र पुत्र मदनलाल रजक जाति धोबी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. शंकर पुत्र खेमा जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ फौत के बजाय–
   1/1–रतनीदेवी पत्नी शंकर जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
   1/2–रोशनलाल पुत्र शंकर जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
   1/3–मन्जु पुत्री शंकर जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन हाल पत्नी भैरूलाल ढोली निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ।
   1/4–दुर्गा देवी पुत्री शंकर जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन हाल पत्नी जगदीशचन्द्र भाण्ड निवासी चमारियाखेडा जूणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
   1/5–कान्ता पत्नी कैलाश जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
   1/6–प्रेमबाई पत्नी कैलाश जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
   1/7–मीना पत्नी कैलाश जाति ढोली आयु वयस्क निवासी. कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
2. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. पटवारी पटवार हल्का कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला-चित्तौड़गढ)

–वादी

–प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/7

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल वैष्णव
एकतरफा

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः **22.05.2025**

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त व खरीदशुदा संयुक्त कृषि आराजीयात मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके खाता संख्या नए 1549 आराजी नं0 4855 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 7288/4855 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.30 हैक्ट0 स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर हिस्सा दर्ज है उक्त आराजीयात वादी ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा वादी के कब्जे काश्त की है तथा वादी द्वारा उक्त आराजीयात पर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा फसल खडी है लेकिन संयुक्त खातेदारी की

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ

...वि आराजीयात होने के कारण प्रतिवादीगण आये दिन लडाई झगडा करते है तथा वादी का कब्जा ...टाने पर आमादा है उक्त आराजीयात बिना बटवाडे की है एवं प्रतिवादीगण वादी से आये दिन हक हिस्से के आराजीयात के बीच की सीमाओं को लेकर के व अन्य कानूनी अडचने व विवाद करते है इसलिए पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बटवाडा आराजीयात की मौका कब्जा के आधार पर जारी फरमाई जाकर के वादी का 1/2 हक हिस्सा कुलिया आराजीयात का बटवाडा कराया जाकर के वादी की संयुक्त रूप से अलग से खाताबन्दी, नक्शा एवं लगानबन्दी कायम कराने की डिक्री पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें।

अन्त में निवेदन किया कि पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बटवाडा आराजीयात की डिक्री जारी फरमाई जाकर के वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित कुलिया आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा का बटवाडा कब्जे एवं कब्जा के आधार पर कराया जाकर के वादी के अलग से खाताबन्दी एवं लगानबन्दी कायम कराने की डिक्री पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 11.02.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1/5 से 1/7 के विरूद्ध आज दिनांक को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 11.02.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.04.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 22.05.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 1549 आराजी नं0 4855 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 7288/4855 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.30 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.04.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. महेन्द्र पुत्र मदनलाल रजक हिस्सा पूर्ण जाति धोबी सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	4855/1	0.15	नहरी 3
योग	कुल किता–01	0.15	

2. कान्ता पत्नी कैलाश हिस्सा 1/15, प्रेमबाई पत्नी कैलाश हिस्सा 1/15, मीना पत्नी कैलाश हिस्सा 1/15 सा0 देह खातेदार, दुर्गा पुत्री शंकर हिस्सा 1/5, मन्जु पुत्री शंकर हिस्सा 1/5, रतनीबाई पत्नी शंकर हिस्सा 1/5, रोशनलाल पुत्र शंकर हिस्सा 1/5 जाति ढोली सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	4855/2	0.06	नहरी 3
2	7288/4855	0.09	नहरी 1
योग	कुल किता–02	0.15	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी कपासन